रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10072025-264493
CG-DL-W-10072025-264493

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, जून 29—जुलाई 5, 2025, शनिवार/ आषाढ़ 8—आषाढ़ 14, 1947
No. 22] NEW DELHI, JUNE 29— JULY 5, 2025, SATURDAY/ ASHADHA 8— ASHADHA 14, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

नई दिल्ली, 24 जून, 2025

सा.का.नि. 86.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में अपर महानिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अपर महानिदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** यहाँ इसके साथ संलग्न पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट

किए गए अनुसार होगा।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगें।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद है अथवा अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अपर महानिदेशक।	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-15 (182200-224100 रुपए)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारी या अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, - (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते है; और (ii) विनियामक कानूनों के प्रवर्तन या आर्थिक या आपराधिक अपराधों की जांच या उससे संबंधित आसूचना जानकारी एकत्र करने में छह वर्ष का अनुभव रखते हों; या (ख) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14 (144200-218200 रुपये) या समतुल्य पर नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ii) विनियामक कानूनों के प्रवर्तन या आर्थिक या आपराधिक अपराधों की जांच या उससे संबंधित आसूचना जानकारी एकत्र करने के संबंध में सात वर्ष का अनुभव होना। **टिप्पणी 1.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, जो सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट 2.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. I-12020/09/2023-एनसीबी-II]

वंदना चौधरी, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Narcotics Control Bureau)

New Delhi, the 24th June, 2025

G.S.R. 86.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Director General in the Narcotics Control Bureau, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1 **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Additional Director General (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation in age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Additional Director General.	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level-15 (Rs. 182200-224100).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government Group 'A' or officers of All India Services, - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (ii) possessing six years' experience in enforcement of regulatory laws or investigation of economic or criminal offences or collection of intelligence relating thereof; or (b) (i) with three years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 14 (Rs. 144200-218200) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (ii) possessing seven years' experience in enforcement of regulatory laws or investigation of economic or criminal offences or collection of intelligence relating thereof. **Note 1.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No I-12020/09/2023-NCB-II]

VANDANA CHAUDHARY, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 2025

सा.का.नि. 87.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बी.सी.जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध कार्यालय अधीक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते है; जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में बी.सी.जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों को बी.सी.जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, कार्यालय अधीक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पदों-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .-** कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार का अभिमत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।